न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 165/2024

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. अनिल कुमार गटटानी पुत्र श्यामदीन गटटानी निवासी– पाल रोड, जोधपुर।		1. श्रीमती कान्ता पत्नी दिनेश कुमार खटीक, निवासी– 934 किला रोड से चौक तक,वार्ड सं. 34, हाल निवासी– 133, गॉधी नगर, मगरा पूंजला, मण्डोर, जोधपुर 2. ग्राम पंचायत नन्दवान जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, तहसील लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.01.2016 उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण के द्वारा राजस्व अपील संख्या 04/2011 अनवान श्रीमती कान्ता बनाम ग्राम पंचायत में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री सुगनमल एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से।
3– रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद तामील सूचना के अनुपस्थित है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांकः 04नवम्बर, 2024

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण के द्वारा राजस्व राजस्व अपील संख्या 04/2011 अनवान श्रीमती कान्ता बनाम ग्राम पंचायत में पारित आदेश 04.01.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 10.06.2024 को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण के द्वारा दौरान सुनवाई अधीनस्थ न्यायालयों से सम्बन्धित उनकी ओर से पेश किये गये दस्तावेजों/प्रमाणित आदेशों उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह निवेदन किया कि मूल खसरा संख्या 569 गैर मुमकीन गोचर की भूमि थी जिनमें से आवंटन किया गया था। जबकि गोचर भूमि से आवंटन किया ही नहीं जा सकता है। उक्त भूमि का जन उपयोग से विपरित उपयोग लेने के कारण अपीलार्थी आलौच्य आदेश से व्यथित पक्षकार है अतः अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता

की अपील को अन्दर मियाद शुमार करने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है जबकि अपीलार्थी गोचर व आगोर भूमि के संरक्षण का कार्य करता है और सुनवाई नहीं होने से आदेश की जानकारी नहीं हुई। प्रार्थी मौके पर आया तो रेस्पो0 संख्या एक द्वारा मौके पर आकर कब्जा करने की धमकी दी और अपीलाधीन आदेश होने की जानकारी दी तब अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश की नकले हेतु आवेदन कर दिनांक 28.05.2024 को प्राप्त की। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रथम बार अपीलार्थी को हुई है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की है। अतः अपील में हुई देरी को माफ करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील नामा0 संख्या 1227 ग्राम पंचायत नन्दवान के विरूद्ध पेश करते हुए निवेदन किया कि ख0सं0 569/5 रकबा 16 बीघा को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा के रेस्पो0 संख्या एक ने श्रीमती भगवती से दिनांक 16.6.2010 को क्रय किया था। भगवती के द्वारा पूर्व में दिनांक 12.8.21 को आवंटी राजूराम से खरीद की गई थी। उक्त भूमि राजूराम को दिनांक 3.3.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 4.6.1986 को नामा0 संख्या 639 से भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। जिस पर ख0सं0 569 में से ख0सं0 569/5 दर्ज किया गया। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त भूमि को खरीदने के पश्चात नामा0 हेतु आवेदन किया जिस पर नामा0संख्या 1227 ग्राम पंचायत द्वारा खोला जाकर खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4.1.2016 द्वारा स्वीकार करते हुए बेचाननामा अनुरूप नामा0 स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है जो आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मूल ख0सं0 569 गैर मुमकीन गोचर की भूमि थी जिसमें से अन्य को आवंटन किया ही नहीं जा सकता था। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 गोचर भूमि में खातेदारी अधिकार दिये जाने से रोकती

है। इस कारण भी ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 पर पारित आदेश विधि अनुसार सही होने के कारण बहाल रखे जाने योग्य था। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा मात्र भूमि खरीद कर लिये जाने से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। विवादित भूमि में आवंटन के आधार पर नामा0 गलत रूप से स्वीकृत किया गया था, जिसके आधार पर भी आगामी नामा0 स्वीकृत नहीं किये जा सकते थे, इन आधारों पर पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त मूल आवंटी को गोचर भूमि में आवंटन कर खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश भी संदिग्ध है और बिना जॉच किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे एवं ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 संख्या 1227 को खारिज करने को यथावत बहाल रखा जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से निजी तौर पर व्यथित पक्षकार नहीं है और न ही वादग्रस्त भूमि उनकी खातेदारी भूमि है, जिस कारण से अपील पेश करने की अनुमति दी जा सके, मात्र यह कथन कर दिया जाना कि वो एक समाजसेवी है और गोचर भूमि के संरक्षण का कार्य करता है। इस प्रकार से तो किसी भी निर्णय को किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना ठोस कारण अंकित किये चुनौती देने का मार्ग प्राप्त हो जायेगा। अतः अपीलान्ट के अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आदेश को इतने लम्बे समय पश्चात न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसमें भी कोई ठोस तथ्य अथवा कथन अंकित नहीं है। रेस्पो0 संख्या एक उक्त भूमि के खरीद से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है जिसकी जानकारी इतने समय तक न होना मानने योग्य नहीं है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2016 को यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की अपील को स्वीकार करने बाबत जो आदेश पारित किया है वो बहाल रखे जाने योग्य है क्योंकि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा वादग्रस्त भूमि में श्रीमती भगवती से जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के 16 बीघा भूमि खरीद की गई थी, ऐसे में जब तक उल्लेखित पंजीबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता तब

कि वह अनवान में रहता है तथा उसके आधार पर भरे गये नामा0 संख्या 1227 को ग्राम पंचायत को खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलान्ट यदि मूल आवंटन को गलत अथवा विधि विरूद्ध मानते है तो उन्हें उक्त आवंटन आदेश को चुनौती देनी चाहिये न कि रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में भरे जाने वाले नामा0 आदेश के विरूद्ध। अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा नामा0 संख्या 1227 पर पारित आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.01.2016 पक्षकारान के न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया जिससे यह पाया गया कि प्रथमतः अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से किसी प्रकार से न तो व्यथित है और न ही प्रभावित पक्षकार खातेदार/ काश्तकार होना प्रतीत होता है, मात्र सामाजिक कार्य करने के नाते ऐसे आदेशों को राजस्व न्यायालयों के समक्ष चुनौती देने हेतु इस स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकती है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय के आवंटन आदेश को लेकर पंजीकृत बेचान दस्तावेज के जरिये रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में दायर नामा0 को ग्राम पंचायत के द्वारा खारिज किया गया है, उक्त प्रकार के नामा0 के स्वीकृत करते समय बेचान बाबत किसी प्रकार की जॉच कर बेचान के विरूद्ध जाकर नामा0 को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त खसरा भूमि बाबत अति0 जिला कलेक्टर द्वारा आवंटी के हक में आवंटन विधि अनुसार होना भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में अंकित किया गया है। अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हमारी विनम्र रॉय में अपीलान्ट की अपील हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने, अपील मियाद बाहर होने के आधार पर अपील अस्वीकार करने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2016 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 04 नवम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

04.11.24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर